पंचम

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2023 सत्र

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या – 82, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 68, 15, 83, 27, 17

मांग संख्या – 29, 36, 21, 10.

मांग संख्या – 22, 69, 81, 18.

मांग संख्या – 9, 8, 35, 58 एवं 7 से संबंधित

भाग - दो

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	
1.	**डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम**	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	**2 घंटे**
		33	आदिम जाति कल्याण	
		41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	
		42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	
		49	अनुसूचित जाति कल्याण	
		53	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		64	अनुसूचित जाति उपयोजना	
		66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	
		68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन	
		15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
		83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		27	स्कूल शिक्षा	
		17	सहकारिता	
2.	**श्री मोहम्मद अकबर**	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	**2 घंटे**
		36	परिवहन	
		21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	
		10	वन	
3.	**डॉ. शिवकुमार डहरिया**	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय निकाय	**1 घंटा**
		69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण	
		81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		18	श्रम	
4.	**श्री जयसिंह अग्रवाल**	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	**1 घंटा**
		8	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	
		35	पुनर्वास	
		58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	
		7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय(पंजीयन एवं मुद्रांक)	

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – दो में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
3. श्री पुन्नूलाल मोहले सदस्य
4. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
5. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
7. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
8. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
9. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
10. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
11. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य
12. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
13. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य

मांग संख्या– 82

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि — रूपये 3,59,90,24,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –49

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पशुपालन हेतु बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पोषाहार हेतु कोई बजट नहीं है।

(3) मत्स्य पालन प्रचार कार्यक्रम के लिए कोई प्रावधानिक बजट कम है।

(4) गहन पशु विकास परियोजना के लिए प्रावधानिक बजट कम है।

(5) शुद्ध पेयजल योजना के लिए बजट कम है।

(6) अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) जिला पंचायतों की सहायता हेतु बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान राशि की कमी है।

(9) जनपद पंचायतों को सहायता हेतु राशि का प्रावधान कम है।

(10) पंचायतों को अनुदान के लिए प्रावधानिक बजट कम है।

मांग संख्या– 33

आदिम जाति कल्याण

मतदेय राशि — रूपये 56,87,00,63,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यकों के विकास हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जांजगीर–चांपा विकासखण्ड क्षेत्र में संचालित आदिवासी छात्रावासों में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में संचालित एकलव्य विद्यालयों हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु प्रावधानिक बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

छात्र–छात्राओं हेतु नवीन छात्रावास के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(2) अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं के लिए नवीन छात्रावास बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को रोकने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(4) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्राओं के लिए विशेष कोचिंग केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में नवीन गुरूकुल विद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) अनुसूचित जाति व जनजाति शिक्षकों के लिए आवास गृह के लिए राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) अनुसूचित जाति व जनजाति बालक–बालिकाओं के छात्रवृत्ति हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिए राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण तथा उन्नयन हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(10) अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

5. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(2) बलौदा बाजार विधानसभा के सुहेला ग्राम में अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) बलौदा बाजार विधानसभा के ग्राम मोहरा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 41

अनुसूचित जनजाति उपयोजना

मतदेय राशि — रूपये 2,40,55,75,40,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जांजगीर–चांपा विकासखण्ड क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना विकास से संबंधित कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) भंडार तथा कच्चा माल के लिए बजट राशि कम है।

(2) छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ योजना हेतु बजट कम है।

(3) ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान कम है।

(4) अन्य आकस्मिक व्यय के लिए बजट प्रावधान कम है।

(5) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए प्रावधानित राशि कम है।

(6) जनजाति सेवा समितियों को प्रबंधकीय अनुदान के लिए प्रावधान कम है।

3. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विधानसभा क्षेत्र बिल्हा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अनुसूचित क्षेत्र के छात्रों के प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सहकारी समितियों की सहायता हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) आदिवासी क्षेत्रों पर शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है

(4) अनुसूचित जाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य हेतु पर्याप्त बजट राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रावधान नहीं है।

(6) शासन के नवीन स्टेट पोर्टल परियोजना का क्रियान्वयन राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) छात्र–छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(8) अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) अनुसूचित जनजातियों के लिए सिमगा तथा भाटापारा में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) अनुसूचित जनजातियों के लिए ग्रामोद्योग व लघु उद्योग के प्रशिक्षण हेतु राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(11) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के छात्र एवं छात्राओं के प्रशिक्षण हेतु बजट में पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(12) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति नवीन छात्रावास खोले जाने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

5. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोले जाने कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अनुसूचित जनजातियों के लिए ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग के प्रशिक्षण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(3) अनुसूचित जाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु पर्याप्त बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के छात्रों के प्रशिक्षण हेतु बजट में पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) सहकारी समितियों को सहायता हेतु पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 42

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल

मतदेय राशि — रूपये 12,47,70,05,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

1. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   अल्पसंख्यक कल्याण की योजना के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) जलपूर्ति निकासी पर परिव्यय में कटौती का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) भू–अर्जन हेतु मुआवजा राशि में कमी है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण, सड़कें, पुल–पुलिया निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

   (2) अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण, सड़कें, पुल–पुलिया के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 49

अनुसूचित जाति कल्याण

मतदेय राशि — रूपये 2,74,80,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनुसूचित जाति के बालक–बालिकाओं के उच्च शिक्षा, कल्याण हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अनुसूचित जाति विकास हेतु विशेष प्रशिक्षण योजना हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक उत्थान की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) गिरौदपुरी धाम के विकास हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

(3) अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिये विशेष भर्ती अभियान का कोई प्रावधान नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के लिए पर्याप्त बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता देने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

निजी माध्यमिक विद्यालयों को पर्याप्त सहायता राशि देने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को पर्याप्त सहायता राशि दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) अनुसूचित जाति क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त बजट राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के उत्थान के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 53

अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि रूपये 1,59,42,56,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 50

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु जांजगीर–चांपा विकासखण्ड क्षेत्र में नवीन छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आदिवासी उपयोजना को राशियों में व्यापक उपचार का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) श्रम, रोजगार के बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान में बढ़ोतरी करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना हेतु पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

4. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) खनिज अन्वेषण हेतु कोई कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकाय अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के बालक–बालिकाओं के विकास एवं शिक्षा–स्वास्थ्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनुसूचित जाति के बालिकाओं के विकास की योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) नगरीय निकायों में उप–स्वास्थ्य केन्द्र में भवन निर्माण का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय व जल विकास योजना में राशि का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 64

अनुसूचित जाति उपयोजना

मतदेय राशि रूपये 78,15,06,01,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 50

1. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) धर्मस्थल बाराडेरा के विकास के लिए कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) भण्डारपुरी–खपरी–तेलसी धर्मस्थल के विकास की कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) दूरभाष पर व्यय का प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) उद्योगों को ब्याज अनुदान का प्रावधान अपर्याप्त है।

(3) गैर विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम में प्रावधानिक राशि कम है।

(4) वानिकी और वन्यजीवन पर पूंजीगत परिव्यय कम है।

(5) कृषक समग्र विकास योजना के लिए प्रावधान बजट कम है।

(6) उपभोक्ताओं की विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी का प्रावधान कम है।

(7) ग्रामीण विकास हेतु प्रावधानिक बजट कम है।

(8) विस्तार एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) पशु रोग नियंत्रण के लिए प्रावधानिक बजट राशि कम है।

(10) शहरी जल प्रदाय योजना के लिए प्रावधानिक बजट में कटौती है।

(11) खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता के लिए प्रावधान राशि कम है।

(12) अशासकीय संस्थाओं को अंग अनुदान में कटौती है।

(13) जिला ऐलोपैथिक चिकित्सालयों की बजट में कटौती है।

(14) जवाहर उत्कर्ष योजना के लिए प्रावधानिक बजट कम है।

(15) कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजी परिव्यय में कटौती है।

(16) स्वरोजगार कार्यक्रम हेतु बजट प्रावधान कम है।

(17) कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान कम है।

(18) माध्यमिक शालाएं मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए प्रावधान कम है।

(19) स्थानीय निकायों को अनुदान का बजट प्रावधान कम है।

(20) संचार क्रांती योजना हेतु बजट में कटौती है।

(21) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं हेतु बजट में कमी है।

(22) आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण कार्य हेतु बजट में कमी है।

(23) स्वामी विवेकानंद ज्ञानदीप योजना के लिए बजट में राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(24) नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य के लिए प्रावधान बजट की कमी है।

(25) लेखन सामग्री एवं कार्यों की छपाई राशि में कटौती है।

(26) जिला और अन्य सड़कों के लिए प्रावधानिक बजट में कटौती है।

3. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनुसूचित क्षेत्र के कृषकों हेतु कृषक ऋण ब्याज दर युक्तिकरण हेतु ब्याज अनुदान का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अनुसूचित जाति जनजाति कार्यालयों के भवन/नवीन भवन कार्यालयों को बनाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(3) एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान के लिये पर्याप्त प्रावधान नहीं है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) वृहद निर्माण कार्य के लिए राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) स्वामी विवेकानंद ज्ञानदीप योजना के लिए बजट में राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) अनुसूचित जाति तथा जनजाति कार्यालयों हेतु भवन निर्माण के लिए राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 66

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

मतदेय राशि — रूपये 6,15,10,02,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

1. **श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) पिछड़े वर्ग के विकास एवं कल्याण हेतु उचित कार्ययोजना एवं राशि का उल्लेख नहीं है।
   (2) अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के कैरियर निर्माण हेतु योजना एवं राशि का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) पिछड़े वर्गों का कल्याण हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) प्री–मैट्रिक छात्रवृत्तियों में कमी है।

3. **श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) पिछड़ा वर्ग छात्र–छात्राओं हेतु बिलासपुर अंतर्गत नवीन छात्रावास का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) पिछड़ा वर्ग हेतु छात्रवृत्तियों एवं अन्य लाभ हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु छात्रवृत्ति के लिए बजट में राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए भवन निर्माण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में पिछड़ा वर्गों के लिए छात्रावास का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 68

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन

मतदेय राशि रूपये 1,33,62,25,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

1. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) अधोसंरचना निर्माण कार्य के लिए प्रावधानिक बजट नहीं है।

(2) आवास पर पूंजी परिव्यय कम है।

(3) आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत हॉस्पिटल भवन का निर्माण के लिए प्रावधान राशि कम है।

(4) आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय में बजट कटौती है।

(5) खाद्य भंडारण और भंडारागार के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

(6) इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालयों के लिये बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) विश्वविद्यालयीन और उच्चतर शिक्षा हेतु बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(9) जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के भवन निर्माण हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(10) छात्रावास आश्रम भवनों के निर्माण के लिए राशि का प्रावधान नहीं है।

2. **श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

ग्राम–पंचायत मोहभठ्ठा विकासखण्ड पथरिया जिला–मुंगेली में सर्व सुविधायुक्त आदिवासी भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) अनुसूचित जनजाति वर्ग की संस्कृति हेतु भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 15

अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि रूपये 1,97,31,44,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 50

1. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) खानों का विनियमन और विकास के लिए कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान के लिए प्रावधान राशि नहीं है।
   (3) सामाजिक, सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम हेतु बजट कम है।
   (4) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय की कमी है।
   (5) अलोह धातु और धातुकर्म उद्योग की बजट का कोई उल्लेख नहीं है।
   (6) मुख्यमंत्री पंचायती सशक्तिकरण योजना के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है
   (2) मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
   (3) अलोह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या – 83

अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि रूपये 1,94,41,40,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) नगर निगम को सहायता के लिए प्रावधानिक बजट कम है।

(3) स्थानीय निकायों को अनुदान अपर्याप्त है।

(4) नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान राशि का प्रावधान कम है।

मांग संख्या – 27

स्कूल शिक्षा

मतदेय राशि — रूपये 73,38,97,29,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 20

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम–बरवसपुर प्राथमिक शाला को मिडिल स्कूल में उन्नयन कर नवीन शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम–चौरभाठा जर्जर मिडिल स्कूल को नवीन भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) ग्राम–रोगदा हाई स्कूल के हायर सेकेण्डरी में उन्नयन कर नवीन भवन निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) ग्राम–कुथुर के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन करके नवीन भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) ग्राम–भैंसमुड़ी मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन करके नवीन भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) नवागढ़ में आत्मानंद स्कूल प्रारम्भ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में प्रदान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) निजी स्कूल, कॉलेजो में फीस निर्धारण नियामक आयोग गठन का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) सभी जिलों में कन्या पॉलिटेक्निक विद्यालय प्रारंभ करने का प्रावधान नहीं है।

(4) स्कूल में खेलकूद के लिए मैदान निर्माण हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) 50,000 रिक्त शिक्षकों के पदों के भर्ती के लिए राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) सभी ब्लॉक में आदर्श विद्यालय स्थापना के लिए राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) शिक्षा के गुणवत्ता सुधार के लिए कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

(8) विद्यार्थी कल्याण योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) नौवीं के छात्रों को सायकल वितरण का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) स्कूल/कॉलेज के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नाम पर हिन्दी माध्यम स्कूल को बंद कर रहे हैं, चालू रखने का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) आई.ए.एस. परीक्षा पास करने हेतु अंग्रेजी माध्यम से ग्रेजुएशन अनिवार्य नहीं है, आत्मानंद विद्यालय में शिक्षक बनने हेतु अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई किया जाना अनिवार्य है, नियमों में सुधार का प्रावधान नहीं है।

(13) कोविड–19 के दौरान पूरी फीस ली गई (स्कूलों प्राइवेट) किंतु ऑनलाईन पढ़ाई हेतु मानक अभी तक जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(14) प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाईन पढ़ाई की स्थिति उत्पन्न होने पर ऑनलाईन पढ़ाई के लिए गाईड लाईन जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(15) प्रत्येक प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान एवं खेलों से संबंधित शिक्षक रखने की अनिर्वायता का प्रावधान नहीं है।

(16) प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस के अनुसार अभिभावकों, बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं की मॉनिटरिंग किये जाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(17) प्रदेश के 11वीं, 12वीं बच्चों को कोटा में आई.आई.टी., एन.ई.टी. की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रशिक्षित करने हेतु भेजे जाने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(18) माध्यमिक शिक्षा मण्डल में प्रदेश के दूरस्थ अंचल के विद्यार्थियों की मार्कशीट में संशोधन होने पर परेशान किया जाने, अवैध वसूली किया जाने का रोकने हेतु कारगर योजना का कोई प्रावधान नहीं है।

(19) प्रदेश के छात्रावासों में निवासरत बालक, बालिकाओं को मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि किया जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

3. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मुंगेली विधानसभा में नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मुंगेली विधानसभा में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) मुंगेली विधानसभा में नवीन उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शाला खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अशासकीय विद्यालय को अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विधानसभा क्षेत्र बिल्हा में संचालित स्कूलों में खेल शिक्षक नियुक्त किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) विधानसभा क्षेत्र बिल्हा में उच्च स्तरीय पुस्तकालय प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) राज्य शिक्षा संस्थान एवं एससीआईआरटी का पुर्नगठन हेतु पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) ग्राम–मुरकुटा विकासखण्ड बिल्हा जिला–बिलासपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(5) ग्राम–देवकिरारी विकासखण्ड पथरिया जिला–बिलासपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(6) ग्राम–बुन्देला विकासखण्ड बिल्हा जिला–बिलासपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(7) ग्राम–भरेवा विकासखण्ड पथरिया जिला–मुंगेली में हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(8) ग्राम–अमलीडीहा विकासखण्ड बिल्हा जिला–बिलासपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(9) ग्राम–खुटेरा विकासखण्ड पथरिया जिला–मुंगेली में हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(10) ग्राम–ककेड़ी विकासखण्ड पथरिया जिला–मुंगेली में हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु कोई प्रावधान नहीं है। नहीं है।

(11) ग्राम–छिन्छापुरी विकासखण्ड पथरिया जिला–मुंगेली में हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(12) ग्राम–पथरगढ़ी विकासखण्ड पथरिया जिला–मुंगेली में हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(13) ग्राम–जोता विकासखण्ड पथरिया जिला–मुंगेली में हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(14) ग्राम–जरेलरी विकासखण्ड पथरिया जिला–मुंगेली में हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु कोई प्रावधान नहीं है

(15) प्रदेश में सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिये छात्रावास खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(16) प्रदेश में रिक्त पदों में शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

(17) अभिभावकों को फीस में राहत दिलाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(18) प्रदेश के स्कूलों में योग शिक्षक की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

(19) छात्राओं को नर्सरी से हायर सेकेण्डरी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(20) स्कूली छात्र–छात्राओं को सायकल आबंटन की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(21) शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(22) कृषि विषय को स्कूल शिक्षा में शामिल किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) कृषि को स्कूल में शामिल किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) स्कूलों में खेल शिक्षकों की भर्ती किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) छात्राओं को निःशुल्क सायकल वितरण किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) निजी स्कूलों के शिक्षा के अधिकार की राशि के भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(6) भाटापारा विधानसभा के किसी भी स्कूल का उन्नयन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश में रिक्त पदों में शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

(8) प्रदेश के स्कूलों में अनुकंपा नियुक्ति किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) प्रदेश के सभी स्कूलों में खेल मैदान बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) छात्राओं को नर्सरी से हायर सेकेण्डरी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(11) प्रदेश में स्कूलों के फीस निर्धारण हेतु कार्ययोजना का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

(12) शिक्षा स्वास्थ्य एवं आवागमन हेतु पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

7. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में आर.टी.आई. के तहत निजी विद्यालयों की लंबित अनुदान राशि को देने बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम–खुड़िया, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली में अनुसूचित जाति बालक एवं बालिका, प्री. एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोलने का कोई नहीं है।

(3) ग्राम–सारिसताल, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली में मिडिल स्कूल निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) ग्राम–रबेली, तहसील–लालपुर थाना, जिला–मुंगेली में मिडिल स्कूल स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) ग्राम–मोहतरातेली, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली में मिडिल स्कूल निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(6) वन ग्राम–सुरही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली में मिडिल स्कूल निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(7) वनग्राम–दानोखार, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली से प्राथमिक शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) ग्राम–चचेड़ी, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली से प्राथमिक शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) ग्राम–कोदवामहंत, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली से नवीन हाई स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) ग्राम–लालपुरथाना, तहसीलन–लालपुरथाना, जिला–मुंगेली, में अंग्रेजी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

(11) ग्राम–घानाघाट, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली से नवीन हाई स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) ग्राम–फुलवारी एफ, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली से हाई स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(13) ग्राम–परदेशीकापा, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली में मिडिल स्कूल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम–मल्हा में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम–बरेकेलेमूर्ड में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) ग्राम–काशीगढ़ में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) ग्राम–ओड़ेकेरा में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) ग्राम–भंवरमाल में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) ग्राम–डवेरघटा में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(7) ग्राम–भंवरेली में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(8) ग्राम–करनौड में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(9) ग्राम–घोघरी में हाई स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(10) ग्राम–भातमाहुल में हाई स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(11) ग्राम–रामपुरा में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(12) ग्राम–डेवगांव में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(13) ग्राम–भोथीडीह में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(14) ग्राम–बेलाडुला में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(15) ग्राम–बरकूट में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(16) ग्राम–डेवरीमठ में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(17) ग्राम–बाड़ेसरा में पूर्व माध्यमिक शाला स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(18) ग्राम–तान्दूलडीह में प्राथमिक शाला स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(19) ग्राम–मड़ोरा में हाई स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(20) ग्राम–लखाली में हाई स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(21) ग्राम–परसदा में हाई स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(22) ग्राम–झालरौंडा में हाई स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

9. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम–रूद्री में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) डूबान क्षेत्र के अकलाड़ोंगरी में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(3) ग्राम–पोटियाडीह में हाईस्कूल स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) ग्राम–कसावही में हाईस्कूल स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) ग्राम–मोंगरागहन में हाईस्कूल स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) ग्राम–देवरी में हाईस्कूल स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) ग्राम–बिरेतरा में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है

(8) हाई स्कूल देवपुर, झिरिया, देवरी, गुजरा, कसावही, मोंगरागहन में अहाता निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(9) स्कूल सम्बलपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) हायर सेकेण्डरी स्कूल बिरेतरा, नगर पंचायत आमदी, कोलियारी, बारना, कुर्रा, तरसींवा, सोरिद वार्ड धमतरी में स्कूल भवन में अहाता निर्माण का प्रावधान नहीं है।

(11) हाईस्कूल देवपुर को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का प्रावधान नहीं है।

(12) हाईस्कूल देवरी को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का प्रावधान नहीं है।

(13) ग्राम–मुजगहन में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(14) ग्राम–पोटियाडीह के हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का प्रावधान नहीं है।

(15) ग्राम–बारना में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(16) ग्राम–बागतराई में हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम–रिंगनी में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम–दूरपा में हाई स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) ग्राम–कोसा में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) ग्राम–भुर्रगांव में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) ग्राम–चोरभट्ठी में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) ग्राम–खपरीडीह में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) ग्राम–कटौड में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) ग्राम–कोड़ाभाट में हाई स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) ग्राम–सिल्ली में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) छात्रों को निःशुल्क सायकल वितरण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पचास हजार शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) सभी स्कूलों में खेल शिक्षक नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) शिक्षा हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) स्कूल शिक्षा विभाग हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) प्रदेश के सभी स्कूलों में खेल मैदान बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश में योग शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बेलतरा विधानसभा के मोपका हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बेलतरा विधानसभा के चिंगराजपारा हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) बेलतरा विधानसभा के खमतराई हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) बेलतरा विधानसभा के सेलर हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) बेलतरा विधानसभा के मटियारी हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) बेलतरा विधानसभा के लिम्हा हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) बेलतरा विधानसभा के फर्रा हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 17

सहकारिता

मतदेय राशि — रूपये 2,86,97,23,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 15

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जांजगीर–चांपा जिले के ग्राम–कापन में शक्कर कारखाना खोलने का उल्लेख नहीं है।

(2) कृषि उपज मंडी में एमएसपी पर धान खरीदने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश की धान बिक्री पर किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) प्रदेश के किसानों को एकमुश्त 2500/– धान खरीदी राशि को दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) ग्राम–पाली, विकासखण्ड–नवागढ़ में नवीन धान खरीदी केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(6) धान खरीदी केन्द्रों में किसानों के बैठने एवं पीने के पानी की व्यवस्था कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) मांग अनुरूप सहकारी बैकों की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) किसानों की फसल बर्बाद होने पर मुआवजा राशि देने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अमूल मॉडल से सहकारी समितियों का गठन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) सहकारी संस्थाओं को चुनाव की योजना नहीं है।

(3) जिला सहकारी बैकों का चुनाव कराये जाने की योजना नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सहकारी ऋण समितियों को सहायता हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) घोषण पत्र के अनुरूप 2 वर्षो का बकाया बोनस किसानों को दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) विधानसभा बिल्हा अंतर्गत नवीन को–ऑपरेटिव बैंक खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) किसानों का एक–एक दाना धान खरीदने का प्रावधान नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) सहकारिता विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में किसानों के 2 वर्ष का बकाया बोनस किसानों को दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) किसानों को बारदाने 55 रूपये प्रति बोरा भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) कृषि उपज मंडी में एमएसपी पर धान फसल खरीदी करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश के धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरा निर्माण कर सेड निर्माण कार्य किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) प्रति एकड़ 15 क्विंटल से अधिक धान खरीदने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) नवीन सहकारी शक्कर कारखाना खोले जाने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

(8) सोसाइटीयों में धान को सुरक्षित रखने हेतु पर्याप्त संसाधनों का आभाव है।

(9) प्रदेश में नवीन सहकारी बैंकों के खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

(10) प्रदेश के किसानों के रबी फसल की धान को खरीदने का कोई प्रावधान नहीं है।

6. **श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

निजी बैंकों से लिये गये ऋण को माफ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. **श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

झाखरपारा में सहकारी बैंक शाखा खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) ग्राम–दोनर में जिला सहकारी बैंक शाखा खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) डूबान क्षेत्र के मोंगरागहन में जिला सहकारी बैंक शाखा खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) नगर पंचायत आमदी में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 29

न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

मतदेय राशि रूपये 7,07,18,64,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 21

1. **श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) वकीलों के संरक्षण के लिए कार्य योजना एवं राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) प्रदेश में अधिवक्ता कल्याण हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   न्यायालयों को अपग्रेड करने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम हेतु बजट कम है।

4. **श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) पथरिया जिला मुंगेली में व्यवहार न्यायालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) अधिवक्ता कल्याण हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) वकीलों हेतु विशेष सुरक्षा कानून हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) भाटापारा न्यायालय भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।
   (3) न्यायालयीन कर्मचारियों के आवास निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है।
   (4) प्रदेश के सभी न्यायालयों को आधुनिक रिकॉर्ड मैनेजमेंट हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।
   (5) सिमगा व्यवहार न्यायालय भवन निर्माण का प्रावधान नही है।
   (6) होम स्टेट अधिनियम का उल्लेख नही है।

6. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   बलौदाबाजार में अधिवक्ता कल्याण हेतु योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 36

परिवहन

मतदेय राशि रूपये 1,24,75,05,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 08

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) परिवहन विभाग में हो रही अवैध वसूली को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में ओव्हर लोडेड वाहनों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित अन्य शहरों के यातायात सुधारने हेतु उपायों एवं राशि का उल्लेख नहीं है।

(4) यात्री परिवहन हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश की सड़कों पर मालवाहक वाहनों के द्वारा ओव्हरलोडिंग किया जाकर, सड़कों को नुकसान, लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, कार्यवाही किया जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के मुख्य चौक चौराहों में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड में नंबर सिस्टम डिस्प्ले किये जाने की योजना का प्रावधान नहीं है।

(3) राजधानी रायपुर के प्रमुख बस स्टैण्ड एवं अन्य चौक चौराहों में अनियंत्रित यातायात, व्यवस्थाओं को सुधारने कार्य योजना का प्रावधान नहीं है।

3. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय कम है।

5. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी पर अनुदान वृद्धि राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) भारी माल वाहक वाहनों में सुरक्षा उपकरणों का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) बिलासपुर से हरदी कला तक सिटी बस संचालन का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) परिवहन विभाग में हो रही अवैध वसूली को रोकने हेतु कोई कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।

(5) बिलासपुर से बरतौरी व्हाया बिल्हा सिटी बस चलाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(6) कॉलेज एवं स्कूली छात्र–छात्राओं को मुफ्त/निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) 1000 परिवहन सुविधा केंद्र खोलने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(2) वाहन से दुर्घटनाओं को कम करने की योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

(3) परिवहन विभाग द्वारा अवैध वसूली के रोकथाम में नियंत्रण का प्रावधान नहीं है।

(4) प्रदेश के सभी छात्रों के लिये निःशुल्क परिवहन का उल्लेख नहीं है।

(5) अंतर्राज्यीय अवैध परिवहन को रोकने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(6) यात्री परिवहन हेतु पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान नहीं है।

(7) प्रदेश के सभी ट्रांसपोर्ट नगरों को व्यवस्थित करने का उल्लेख नहीं है।

(8) भाटापारा में आधुनिक बस स्टैण्ड का निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में लगातार सड़क दुर्घटनाओं में निरंतर इजाफा हो रहा है, इसकी रोकथाम हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

8. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कोई योजना और किसी कार्य योजना में बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बलौदाबाजार नगर में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

(3) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत हैवी वाहनों में सुरक्षा उपकरणों के लगाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के कॉलेजों एवं स्कूली छात्र–छात्राओं को मुफ्त परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

(5) बलौदाबाजार विधान सभा अंतर्गत बलौदाबाजार नगर से भाटापारा तक सिटी बस संचालन का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 21

आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 9,55,24,73,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 32

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के शासकीय भवनों में भूजल संरक्षण हेतु कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अवैध प्लॉटिंग रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

(3) नदियों में प्रदूषित पानी जाने से रोकने के उपाय हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ध्वनि प्रदूषण रोकने का कोई कार्ययोजना नहीं है।

(2) हाऊसिंग बोर्ड के मकानों का मूल्य एवं गुणवत्ता पर नियंत्रण लगाने का प्रावधान नहीं है।

(3) हाऊसिंग बोर्ड कचना, खम्हारडीह में निवासियों से मेंटेनेन्स नियमित लेने के बाद भी आवश्यक मेंटेनेन्स नहीं किया जाता है, नियमित मेंटेनेन्स का प्रावधान नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय अपर्याप्त है।

4. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नदियों पर प्रदूषित जल/पानी जाने को रोकने के उपायों/कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) वायु, जल, मृदा, पर्यावरण संरक्षण को रोकने कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश की आवास योजना हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नदियों में प्रदूषित पानी जाने से रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम हेतु कोई नीति नहीं है।

(3) प्रदेश की आवास योजनाओं के लिये पर्याप्त धनराशि का अभाव है।

(4) प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त राशि प्रावधानित नहीं है।

(5) पर्यावरण को संरक्षित करने समुचित योजना का अभाव है।

(6) सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिये बजट कोई पर्याप्त नहीं है।

(7) पर्यावरण अनुसंधान हेतु कार्य योजना का अभाव है।

(8) प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषणों के रोकथाम हेतु प्रावधान नहीं है।

(9) अवैध कालोनाईजर्स पर कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।

(10) छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड अतिक्रमित भूमि को हटाने के लिये योजना का उल्लेख नहीं है।

6. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम हेतु कोई नीति का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में वायु, जल, मृदा, पर्यावरण संरक्षण हेतु ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 10

वन

मतदेय राषि **रूपये 26,94,62,06,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 10

1. **श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) एलीफेन्ट कॉरिडोर के लिये कार्य योजना एवं राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) अवैध शिकार रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
   (3) प्रदेश में वृक्षारोपण की स्पष्ट नीति का कोई उल्लेख नहीं है।
   (4) प्रदेश में वनों की अवैध कटाई रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) प्रदेश के प्रमुख पार्क में ली जाने वाली प्रवेश शुल्क की राशि को कम किया जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
   (2) तेंदूपत्ता संग्राहकों को तृतीय वर्ग कर्मचारियों का दर्जा नहीं है।
   (3) गजराज योजना के लिए राशि नहीं है।
   (4) वाइल्ड लाईफ कॉरीडोर के लिए राशि नहीं है।
   (5) वनाधिकार कानून का पालन नहीं है।

3. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) वृहद वृक्षारोपण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) अवैध वन कटाई को रोकने के उपायों को कोई उल्लेख नहीं है।
   (3) वनोपजों के सुरक्षा एवं उनके रख–रखाव का कोई उल्लेख नहीं है।
   (4) वनोपजों के विकास का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए बजट अपर्याप्त है।

5. **श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) प्रदेश में बाघ एवं अन्य विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रावधान नहीं है।
   (2) हाथी कॉरीडोर हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(3) अनुसूचित क्षेत्रों में वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

(4) प्रदेश के वनों में हो रही अवैध कटाई को रोकने हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) वन माफियाओं से मुक्ति हेतु किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) वन्य जीवों के संरक्षण, संवर्द्धन और विकास हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान नहीं है।

(3) प्रदेश में पथ वृक्षारोपण हेतु योजना का कियान्वयन संबंधी उल्लेख नहीं है।

(4) नवीन प्रसंस्करण ईकाईयों का स्थापना हेतु पर्याप्त राशि का अभाव है।

(5) हाथी और मानव संघर्षों को रोकथाम के लिये योजना सफल नहीं है।

(6) प्रदेश के अवैध वन कटाई को रोकने का उल्लेख नहीं है।

(7) भाटापारा–सिमगा क्षेत्र में वन विकसित करने बजट में प्रावधान नहीं है।

(8) वन्य जीव अभ्यारण्यों के संरक्षण हेतु राशि पर्याप्त नहीं है।

(9) प्रदेश में बाघों के संख्या में वृद्धि हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

(10) राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ वृक्षारोपण की योजना का प्रावधान नही है।

(11) कैम्पा योजना में भ्रष्टाचार रोकने हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

(12) सभी वन प्रबंधन संस्थानों को अपडेट करने के संबंध में उल्लेख नहीं है।

7. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में हाथियों के आतंक से बचाव एवं एलिफेंट कॉरीडोर निर्माण के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) ग्राम–खुड़िया, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली में अचानकमार टाईगर रिजर्व हेतु प्रवेश द्वार खोलने का प्रावधान नहीं है।

8. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु स्पष्ट नीति का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वनों की अवैध कटाई रोकने हेतु किसी कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

9. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धमतरी जिले में हाथी उत्पात से फसल क्षति एवं मानव क्षति को रोकने के लिए बजट में प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 22

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय निकाय

मतदेय राशि **रूपये 15,34,00,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 18

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नगरीय निकाय के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के शहरों का विकास उनकी जनसंख्या एवं भविष्य की आबादी को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा है, योजनाओं का अभाव है।

(3) प्रदेश की राजधानी रायपुर का नया मास्टर प्लान में व्याप्त अनियमितताओं का निपटारा कर आपत्ति रहित मास्टर प्लान लागू करने का प्रावधान नही है।

(4) रायपुर शहर के कुंआ के संवर्धन की योजना नही है।

(5) रायपुर शहर के तालाबों के संरक्षण व संवर्धन की कोई योजना नही है।

(6) रायपुर के झुग्गीवासियों के लिए पक्का मकान प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है।

(7) झुग्गी बस्तियों के स्थान पर पक्का मकान दिये जाने की योजना नहीं है।

(8) नगरीय निकायों में शामिल ग्रामों के विकास के लिए कोई राशि/योजना नहीं है।

(9) शहरी आवासहीनों को 2 कमरे का मकान देने राशि का प्रावधान नहीं है।

(10) स्मार्ट सिटी रायपुर में पैसे का बंदरबाट व भ्रष्टाचार रोकने कोई कार्य योजना नहीं है।

(11) डी.एम.एफ. राशि के व्यापक भ्रष्टाचार को रोकने कोई योजना नहीं है।

(12) डी.एम.एफ. की राशि को गैर क्षेत्र में खर्च को रोकने हेतु कोई योजना नहीं है।

(13) व्यावसायिक लायसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण का प्रावधान नहीं है।

(14) प्रत्येक शहरी क्षेत्र में 20 प्रतिशत ग्रीन एरिया के लक्ष्य की पूर्ति का प्रावधान नहीं है।

(15) शहरों में नए तालाब और पार्कों का निर्माण का प्रावधान नहीं है।

(16) शहरी आवास लागू करने का प्रावधान नहीं है।

(17) सम्पत्ति कर आधा किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(18) कचरा मुक्त शहर बनाने हेतु कोई कार्य योजना व राशि नहीं है।

2. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) खुड़िया बांध के पानी को मुंगेली शहर में पाइप लाईन द्वारा लाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मुंगेली नगर पालिका में विपक्ष को अधोसंरचना विकास हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जिला मुंगेली में सिटी बस चलाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) नगर पालिका मुंगेली में महापुरूषों की मूर्ति स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) मुंगेली शहर के सौंदर्यीकरण एवं विकास का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना हेतु बजट में कटौती की गई है।

4. **श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बिलासपुर नगर निगम में शामिल नये क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

(2) परसदा में हाई मास्क लाईट लगाये जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) बिलासपुर नगर निगम वार्ड क्रमांक 5,6,7,8,9 एवं 10 में सफाई व सी.सी.रोड निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) नगरपालिका के अनियमित, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान नहीं है।

(2) प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु प्रावधानित राशि बहुत कम है।

(3) प्रदेश के नगरीय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के नियंत्रण हेतु योजना नहीं है।

(4) स्थानीय निकायों के प्रशिक्षण हेतु राशि पर्याप्त नहीं है।

(5) नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान पर्याप्त नहीं है।

(6) प्रदेश के सभी खराब वाटर एटीएम को सुधार कराने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

(7) वेस्ट मेनेजमेंट सिस्टम को गतिशील और सुइट बनाने के लिये नवीन योजना नहीं है।

(8) सबके लिये आवास योजना में प्रावधानित राशि पर्याप्त नहीं है।

(9) प्रदेश के लाखों प्रधानमंत्री आवासों को पूर्ण करने हेतु राशि कम है।

(10) शहरी क्षेत्रों में आबादी पट्टा प्रदाय करने हेतु किसी नवीन योजना का प्रावधान नहीं किया गया है।

(11) प्रदेश के सभी निकायों के बकाया बिजली बिल के भुगतान का प्रावधान नहीं किया गया है।

(12) भाटापारा को स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित करने का प्रावधान नहीं है।

6. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

नगर पंचायत, लोरमी, जिला–मुंगेली को नगर पालिका का दर्जा देने हेतु बजट में प्रावधान नहीं है।

7. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बेलतरा विधानसभा के खमतराई वार्ड क्रमांक–58 डी.एल.एस. कॉलेज नाला से एकता कॉलोनी में सी.सी.रोड निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(2) बेलतरा विधानसभा के खमतराई वार्ड क्रमांक–58 मुख्यमार्ग एसएमबी मार्केट से शिवम विहार में सी.सी.रोड निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(3) बेलतरा विधानसभा के अशोक नगर वार्ड क्रमांक–57 रामाग्रीन सिटी से पटेल के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(4) बेलतरा विधानसभा के अशोक नगर वार्ड क्रमांक–57 देवी स्अील मुख्य मार्ग से गुरूकृपा हार्डवेयर तक नाला चौड़ीकरण व गहरीकरण का उल्लेख नहीं है।

(5) बेलतरा विधानसभा के अशोक नगर वार्ड क्रमांक–57 भूपेन्द्र किराना दुकान से सतीष सिंह के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(6) बेलतरा विधानसभा के अशोक नगर वार्ड क्रमांक–68 आर सी.सी. नाली निर्माण, गंधीरवा पारा में नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(7) बेलतरा विधानसभा के चांटीडीह वार्ड क्रमांक–56 अंजनी विहार में सी.सी.रोड व आर.सी.सी. नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(8) बेलतरा विधानसभा के बहतराई वार्ड क्रमांक–49 तिज्जू साहू के दुकान से माधो सिंह के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(9) बेलतरा विधानसभा के मंगला वार्ड क्रमांक–14 सन सिटी मुख्य मार्ग में सी.सी.रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(10) बेलतरा विधानसभा के मंगला वार्ड क्रमांक–14 महर्षि स्कूल रोड चन्द्रा गली में सी.सी.रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(11) बेलतरा विधानसभा के मंगला वार्ड क्रमांक–14 सीताराम पटेल के पीछे वाली गली में सी.सी. रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(12) बेलतरा विधानसभा के मंगला वार्ड क्रमांक–14 गंगा नगर फ्रेण्डस कॉलोनी में सी.सी.रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(13) बेलतरा विधानसभा के मंगला वार्ड क्रमांक–14 गंगा नगर सेक्टर 2 साहू जी वाली गली में सी.सी.रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(14) बेलतरा विधानसभा के मोपका वार्ड क्रमांक–48 रामायण के घर से दाऊराम साहू के घर तक सी.सी. रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(15) बेलतरा विधानसभा के बिरकोना वार्ड क्रमांक–64 नर्मदा बरेठ के घर से टिकरी तालाब तक सी.सी.रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(16) बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत ग्रामों में नवीन पानी टंकी व नल–जल योजना प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

(17) बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत ग्रामों में नवीन पानी टंकी व नल–जल योजना प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

(18) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के गणेशनगर फदहाखार वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने का उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) धमतरी, औद्योगिक वार्ड के रेल्वे प्रभावितों को आवास आबंटन का उल्लेख नहीं है।

(2) धमतरी नगर पालिक निगम में विद्यार्थियों को एवं खिलाड़ियों को खेल सुविधा बढ़ाने हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(3) धमतरी शहर के सदर रोड चौड़ीकरण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(4) धमतरी नगर निगम में पानी निकासी दुरूस्त करने हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(5) धमतरी में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(6) नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में सम्पत्ति कर आधा करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार नगरपालिका के प्रमुख तालाबों के जीर्णोद्धार कर नवजीवन दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) संपत्ति कर में 50 प्रतिशत की कमी किया जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) बलौदाबाजार नगर पालिका के विजारा में किसी नई योजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 69

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण

मतदेय राशि रूपये 11,98,86,50,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 18

1. **श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) नगरीय क्षेत्रों में अवैध कब्जों को हटाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

   (2) नैला जांजगीर के चौक–चौराहों में सौंदर्यीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

   (3) शहरी आवास योजना हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (4) संपत्ति कर आधा करने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश की राजधानी के तालाबों में अतिक्रमण हो रहा है, तालाबों का संरक्षण एवं संवर्धन के उपायों का प्रावधान नहीं है।

   (2) राजधानी रायपुर के नरैया गार्डन को विकसित करने (प्रवेश द्वार, वृक्षारोपण, तालाब में जलकुंभी हटाने, टॉयलेट) की योजना का अभाव है।

   (3) राजधानी रायपुर में पैदल चलने वालों, सायकल से चलने वालों के लिये कोई ट्रैक नहीं है।

   (4) रायपुर राजधानी के कलेक्ट्रेट गार्डन को राजधानी रायपुर की गरिमा के अनुरूप बनाने का प्रावधान नहीं है।

   (5) प्रदेश के प्रत्येक जिलों, तहसीलों के मुख्य चौक, चौराहों में निःशुल्क जल की (पीने का पानी) उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिससे आम नागरिक प्यासा न रहे वाटर फिल्टर यूनिट लगाने का प्रावधान नहीं है।

   (6) बिलासपुर की व्यापार विहार योजना में वर्षों पूर्व आबंटितों के प्लॉट में आज दिनांक तक सड़क, बिजली, पानी नहीं पहुंचा है, कचरा हटाकर व्यवस्थित किये जाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

   (7) रायपुर नगर निगम में शहर के विकास के लिये दीर्घकालीन योजना नहीं बनाई गई है। दीर्घकालीन योजना का प्रावधान नहीं है।

   (8) प्रदेश की राजधानी रायपुर से 50 किलोमीटर के दायरे में सार्वजनिक यातायात के साधनों को बढ़ाने का प्रावधान नहीं है।

   (9) आत्मानंद स्कूलों में शिक्षक भर्ती में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की अनिवार्यता को समाप्त करने का प्रावधान नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्रों में पेयजल तथा शौचालयों की व्यवस्था हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान का प्रावधान कम है।

(2) ब्याज व ऋण अदायगी के लिए प्रावधान में कमी है।

4. **श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

सफाई कर्मचारियों की मानदेय बढ़ाने की उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 81

नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि — रूपये 31,11,27,56,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 18

1. **श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) नगरीय निकायों में स्कूल शिक्षा हेतु अनुदान राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) गौण खनिज से प्राप्त राजस्व की राशि में कमी को दूर करने के संबंध में कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) नगरीय निकायों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बॉयो–मीट्रिक पद्धति से भुगतान हेतु अनुदान कम है।

   (2) नगरपालिकाओं को सहायता राशि देने का प्रावधान बजट में कम है।

   (3) जलापूर्ति और मल निकासी पर पूंजी परिव्यय कम है।

   (4) खनिज अन्वेषण के लिये अपर्याप्त बजट है।

3. **श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) नगरीय निकायों को मूलभूत सुविधा/सेवाओं हेतु अनुदान राशि का पर्याप्त उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश में संपत्ति कर आधा करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 18

श्रम

मतदेय राषि **रूपये 2,03,88,96,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 16

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नगरीय निकायों के विकास हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) जांजगीर नैला नगर पालिका में स्वीकृत जल आवर्धन योजना को शीघ्र पूर्ण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) जांजगीर शहर स्थित नहर पुल से कलेक्ट्रेट कॉलोनी को जोड़ने वाली जर्जर सी.सी.रोड के पुनर्निर्माण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(4) असंगठित मजदूरों के कल्याण हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश में श्रमिक कल्याण हेतु कार्ययोजना एवं राशि का पर्याप्त उल्लेख नहीं है।

(6) श्रमिकों हेतु नई स्कूलें खोलने एवं उनके पुनर्वास हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मजदूरों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं है।

(2) असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(3) श्रम कल्याण की योजनाएं बंद है।

(4) प्रदेश के श्रमिकों की सुरक्षा हेतु अपनाये जाने वाले उपायों की मॉनिटरिंग किये जाने हेतु विभाग की कोई नई कार्य योजना नहीं है।

(5) प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की गरीब, अनपढ़ लोगों (महिलाओं एवं बच्चियों) को काम के बहाने अन्य प्रदेशों में बेचने वाले लोगों पर नियंत्रण किये जाने हेतु व्यापक कार्य योजना ''विशेष सेल'' बनाने का प्रावधान नहीं है।

(6) उद्योगों में 70 प्रतिशत नौकरी अकुशल श्रमिक स्थानीय हो इसकी कोई कार्ययोजना नहीं है।

(7) उद्योगों में 100 प्रतिशत अकुशल श्रमिक स्थानीय हो कोई योजना नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए प्रावधान कम है।

4. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) शासकीय अकुशल/अर्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों के वेतन वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मुंगेली विधानसभा में कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के अस्पताल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश के मजदूरों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु कारगर योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) छत्तीसगढ़ प्रदेश में संचालित श्रमिक योजना को बंद होने से श्रमिक को लाभ नहीं मिल रहा है, बंद योजना को पुनः लागू किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के मजदूर पलायन हो रहे हैं उसको रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बाल श्रमिक पुनर्वास हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

8. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) छत्तीसगढ़ प्रदेश में पलायन को रोकने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पलायन करने वाले मजदूरों को प्रदेश में कार्य देकर रोकने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार असमर्थ है।

(4) बाल श्रमिकों के कल्याण की योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।

(5) श्रम विभाग की योजनाओं को लेकर विशेष प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 9

राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 29,24,69,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 7

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पटवारियों की कमी दूर करने हेतु नवीन नियुक्तियां किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

(2) प्रदेश में भूमिहीन परिवारें को भूमि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(3) जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

(4) भूमि से अवैध कब्जा हटाने का उल्लेख नहीं है।

(5) पलायन रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(6) प्रदेश में राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निपटाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) राजस्व विभाग में वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान नहीं है ।

(2) आम नागरिकों के आवेदनों का समयबद्ध तरीके से समाधान हो जाने लोकपाल गारंटी क्रियान्वयन सही तरीके से हो सके, मॉनिटरिग करने का प्रावधान नहीं है।

3. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजी परिव्यय कम है।

4. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में पलायन रोकने हेतु विस्तृत कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।

(2) शासकीय भूमि में हो रहे अवैध कब्जों को रोकने का उल्लेख नहीं है।

(3) उप–तहसील सरगांव में पूर्ण तहसील खोले जाने का प्रावधान नहीं है।

(4) प्रदेश के राजस्व कार्यालय में CCTV कैमरा लगाये जाने का उल्लेख नहीं है ।

(5) भूमि अभिलेख/भू–राजस्व पुस्तिकाओं के आधुनिकीकरण रख–रखाव आदि का उल्लेख नहीं है।

(6) जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवश्यक भू–अभिलेख प्रदान/उपलब्ध कराये जाने/सरलीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

(7) तहसील कार्यालयों में पारदर्शी व्यवस्था नहीं होने से अवैध प्लॉटिंग, धोखाधडी के प्रकरणों को रोकने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

(8) जिला बिलासपुर व मुंगेली की राजस्व भूमि पर हो रहे अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों को रोकने के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(9) विकासखण्ड पथरिया जिला–मूंगेली में उप पंजीयक कार्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

(10) प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को भूमि प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) राजस्व विभाग के सभी कार्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान नहीं है ।

(2) भूमिहीन परिवारों को भूमि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(3) राजस्व विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती का उल्लेख नहीं है।

(4) राजस्व के पुराने जर्जर भवनों के निर्माण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(5) फार्म का मुद्रण, भंडारण और वितरण के व्यवस्था सुदृढ़ करने का उल्लेख नहीं है।

(6) शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश के राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये योजना का उल्लेख नहीं है।

(8) प्रदेश के सभी तहसील कार्यालयों में आमजनों के बैठने, पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

(9) विभाग में रिक्त अमीन, पटवारियों के भर्ती संबंधित प्रावधान नहीं है।

(10) लंबित राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निपटाने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

(11) मंदिर आदि को परिपोषण अनुदान संबंधित राशि का प्रावधान नहीं है।

6. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्यः एक रूपये की कमी की जावे.

बलौदाबाजार विधान सभा के अंतर्गत भूमिहीन परिवारों को भूमि प्रदाय करने का का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 8

भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन

मतदेय राशि रूपये 18,85,57,51,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 7

1. **श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) भू–अधिग्रहण के लिए उचित नीति बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) भू–राजस्व पुस्तिकाओं के आधुनिकीकरण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) भूमिहीन कब्जाधारियों को पट्टा वितरण का उल्लेख नहीं है।

   (2) नक्शा, खसरा, बंटाकन, फौती व बंटवारे के निराकरण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

   (3) प्रदेश की शासकीय भूमि में बाहरी व्यक्तियों के अवैध कब्जा हटाने तथा शासकीय भूमि के संरक्षण का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्यः एक रूपये की कमी की जावे.**

   भूमिहीनों के लिए मकानों की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।

4. **श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) ग्राम नयापारा/मुण्डादेवरी, विकासखण्ड– पथरिया, जिला–मुंगेली में ग्राम नयापारा को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

   (2) ग्राम शपासोरी/पंडियाईन, विकासखण्ड– पथरिया, जिला–मुंगेली को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) आबादी भूमि का पट्टा वितरण करने का प्रावधान नहीं है ।

   (2) नवीन स्थापित जिलों में तहसील, एस.डी.एम. और अन्य कार्यालयों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

   (3) शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने संबंधित उल्लेख नहीं है।

   (4) सभी राजस्व न्यायालयों में प्रतीक्षा स्थल का निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(5) भाटापारा को जिला बनाने का प्रावधान नहीं है ।

(6) आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिये आकस्मिक व्यय की राशि का उल्लेख नहीं है।

(7) भू–राजस्व पुस्तिकाओं के संधारण हेतु आधुनिकीकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(8) राजस्व निरीक्षकों को प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नही है।

(9) राजस्व न्यायालयों के कार्य में दलालों की सक्रियता को रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

6. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम पंचायत मुलमुला में उप तहसील खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 35

पुनर्वास

मतदेय राशि **रूपये 2,53,40,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 7

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) माना पुनर्वास केन्द्र के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) नक्सली प्रभावित लोगों के पुनर्वास की योजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्यः एक रूपये की कमी की जावे.

पुनर्वास हेतु आवासीय भवन के लिए प्रावधान नहीं है।

3. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बिलासपुर–रायपुर फोरलेन रोड़ पर ग्राम भोजपुरी का पुनर्वास का उल्लेख नहीं है ।

(2) ठोस नवीन पुनर्वास नीति बनाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के मछुआरों के पलायन को रोक कर पुनर्वास संबंधी योजना का उल्लेख नहीं है ।

(2) भूमिहीन परिवारों को शीघ्र पट्टा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(3) आपदाओं के विश्लेषण और कार्ययोजना तैयार करने का उल्लेख नहीं है।

(4) राज्य के पुनर्वास नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु प्रावधान नहीं है।

5. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधान सभा के अंतर्गत मजदूरों का पलायन रोकने हेतु ठोस उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधान सभा के अंतर्गत भूमिहीन परिवारों को पट्टा दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 58

प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

मतदेय राशि **रूपये 13,70,44,71,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 7

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

किसानों को आपदाओं से राहत एवं पुर्ननिर्माण नीतियों का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) COVID-19 से सबक लेते हुए आपदा के समय आपनाये जाने वाले उपायों के प्रचार–प्रसार को स्कूल, कॉलेजों, शासकीय एवं सामान्य नागरिकों को प्रशिक्षित किये जाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) COVID-19 से मृत परिवारें के परिवारजनों को आर्थिक, शैक्षणिक मदद किये जाने का प्रावधान नहीं है।

(3) कक्षा 6वी, 10वी,12वी एवं कॉलेज के विद्यार्थियों को COVID-19, भूकंप, बाढ़ देश में सैन्य आक्रमण की स्थिति में अपनाये जाने वाले उपायों का प्रशिक्षण को अनिवार्य किये जाने का प्रावधान नहीं है।

3. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्राकृतिक आपदाओं में मृत व्यक्तियों एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों के मुआवजा में वृद्धि किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्यः एक रूपये की कमी की जावे.

किसानों को भूमि से रेत/खार निकालने के लिए सहायता तथा सूखा के राहत का प्रावधान नहीं है।

5. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को राहत/सहायता राशि में वृद्धि का उल्लेख नहीं है ।

(2) विकासखण्ड बिल्हा के अंतर्गत फसल आपदा क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बिल्हा अंतर्गत विकासखण्ड पथरिया जिला–मुंगेली में फसल आपदा क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बाढ़ से राहत हेतु सहायता राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) भाटापारा तहसील और सिमगा तहसील में सूखाग्रस्त इलाकों के मुआवजा प्रकरण निपटाने का उल्लेख नहीं है।

(3) नदी के कटाव से मकानों को नुकसान की भरपाई का उल्लेख नही है।

7. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ बचाव हेतु अनुदान राशि का पर्याप्त व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 7

वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 3,35,76,63,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 5

1. **श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में राहत दिये तथा वस्तुओं एवं सेवा कर पर अन्य कर में कमी किये जाने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   स्टॉम्प एवं पंजीयन हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है ।